भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *142
दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

बच्चों के लिए योजनाएं

***142. श्री चंद्र शेखर साहू:**
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है, यदि हां, तो तत्संबधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए मानदंडों, नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कई राज्यों ने इनमें से कुछ योजनाओं को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में उक्त योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं;
(घ) क्या सरकार ने देश में माताओं और बच्चों में विद्यमान एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) संबंधी विभिन्न योजनाओं के तहत डबल फोर्टिफाइड नमक के उपयोग की भी जांच की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में डब्ल्यूसीडी योजनाओं के तहत डबल फोर्टिफाइड नमक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'बच्चों के लिए योजनाएं' के संबंध में श्री चंद्र शेखर साहू और श्री गिरीश भालचंद्र बापट द्वारा दिनांक 16.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 142 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में बालिकाओं सहित बच्चों की बेहतरी के लिए पूर्वनिर्धारित साझा लागत मानदंडों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इनमें शामिल हैं:

I. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):** मिशन शक्ति की संबल उप-स्कीम के तहत बीबीबीपी स्कीम का उद्देश्य लैंगिक पक्षपातपूर्ण लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है, ताकि बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और बालिकाओं की शिक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। शून्य-बजट विज्ञापन पर केंद्रित बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इस स्कीम का विस्तार किया गया है और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों जैसे लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, निर्माण बालिका शौचालयों के निर्माण, की उपलब्धता, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994) और लड़कियों के कौशल के बारे में जागरूकता आदि पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 में जिलों में जन्म पर लिंग अनुपात (एसआरबी) में अंतर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एचएमआईएस डेटा के अनुसार) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बीबीबीपी घटक के तहत निधि जारी करने के लिए तीन ब्रैकेट निर्धारित किए गए हैं। 918 से कम या इसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को 40 लाख रुपये प्रति वर्ष, 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को 30 लाख रुपये प्रति वर्ष और 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जा रही है।

यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है और जिलों को राज्यो के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के लिए धन दिया जाता है। केंद्र सरकार अखिल भारतीय आधार पर बीबीबीपी स्कीम को कार्यान्वित कर रही है, हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य बीबीबीपी स्कीम को कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

II. **सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 स्कीम:** स्कीम का उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में एक कार्यनीतिक बदलाव के माध्यम से बाल कुपोषण और मातृ कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाना और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने के लिए स्थितियां और एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है। सक्षम आंगनवाड़ी के तहत घटकों को प्राथमिक वर्टिकल्स में पुनर्गठित किया गया है:

(क) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहयोग; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष];

(ख) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों जैसे 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएलएम) और आकांक्षी जिलों और एनईआर में किशोरियों (14-18 वर्ष) को शामिल किया जाएगा।

(ग) पोषण अभियान

आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत) पात्र लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के माध्यम से देश भर में निम्नलिखित छह सेवाएं प्रदान करती हैं:

i. पूरक पोषण (एसएनपी)
ii. प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच, और
vi. रेफरल सेवाएं

छह में से तीन सेवाएं, जैसे, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी सेवाएं एक

सार्वभौमिक स्वयं-चयन स्कीम है जो उन सभी लाभार्थियों को उपलब्ध है जो आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन करते हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थी 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।

मानदण्डों के अनुसार वर्ष में 300 दिनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के हितधारकों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणियां	भोजन का प्रकार
1	बच्चे (0-6 माह)	जीवन के पहले 6 माह में केवल स्तनपान
2	बच्चे (6-36 माह)	बच्चे को रुचिकर लगने वाले रूप में घर ले जाने वाला राशन। इसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और/या ऊर्जा से भरपूर भोजन के रूप में दिया जा सकता है।
3	गंभीर कुपोषित बच्चे (6-36 माह)	800 कैलोरी ऊर्जा और 20-25 ग्राम प्रोटीन के खाद्य पूरक के साथ उपरोक्त जैसा ही भोजन
4	बच्चे (3-6 वर्ष)	दूध/केला/मौसमी फल आदि के रूप में सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन।
5	गंभीर कुपोषित बच्चे (3-6 वर्ष)	सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और/या ऊर्जा से भरपूर भोजन के रूप में अतिरिक्त 300 कैलोरी ऊर्जा और 8-10 ग्राम प्रोटीन
6	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और/या ऊर्जा से भरपूर भोजन के रूप में घर ले जाने वाला राशन लें।

पोषण अभियान: पोषण अभियान का उद्देश्य आईसीटी एप्लीकेशन, अभिसरण, सामुदायिक जुटाव, व्यवहार परिवर्तन और जन आंदोलन, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और पुरस्कार और नवाचार जैसे घटकों के माध्यम से देश भर में कुपोषण के मुद्दों का समाधान करना है। अभियान का उद्देश्य 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना भी है। पोषण अभियान व्यापक रूप से कुपोषण के मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी और जन आंदोलन का लाभ उठाते हुए साझेदार मंत्रालयों के बीच अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करता है। फील्ड पदाधिकारियों द्वारा नियर-रीयल टाइम रिपोर्टिंग और एमआईएस में सुधार का उद्देश्य स्कीम का सुचारू कार्यान्वयन और बेहतर सेवा वितरण है।

पोषण अभियान का लक्ष्य 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में, नियत लक्ष्यों सहित समयबद्ध तरीके से निम्न सुधार हासिल करना है:

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य दर
1.	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन की रोकथाम और कमी लाना	2% प्रति वर्ष
2.	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (अल्पवजन के प्रसार) की रोकथाम और कमी लाना	2% प्रति वर्ष
3.	छोटे बच्चों (6-59 माह) में एनीमिया के प्रसार में कमी लाना	3% प्रति वर्ष
4.	15-49 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया के प्रसार में कमी लाना	3% प्रति वर्ष
5.	जन्म पर कम वजन (एलबीडब्ल्यू) में कमी लाना	2% प्रति वर्ष

आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रयासों का कायाकल्प किया गया है और उन्हें 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) के रूप में अभिसरित किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण सामग्री और वितरण में कार्यनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली

प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के माध्यम से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है।

पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, सामान्य रूप से तीव्र कुपोषित/गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चों के उपचार और आयुष के माध्यम से कल्याण पर केंद्रित है। यह अभिसरण, शासन और क्षमता निर्माण के स्तंभों पर टिका है। पोषण अभियान पहुंच के लिए प्रमुख स्तंभ है और इसमें पोषण सहयोग, आईसीटी हस्तक्षेप, मीडिया पैरवी और अनुसंधान, सामुदायिक पहुंच और जन आंदोलन से संबंधित नवाचार शामिल हैं। पोषण की गुणवत्ता और मान्यताप्राप्तस प्रयोगशालाओं में परीक्षण में सुधार, सेवाओं के त्वरित पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए पूरक पोषण के प्रावधान की रीयल टाइम निगरानी के संबंध में शासन में सुधार के लिए एक सशक्त आईसीटी सक्षम मंच, 'पोषण ट्रैकर' के तहत वितरण को सुदृढ़ बनाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अभियान के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इस प्रकार वे एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

III. मिशन वात्सल्य स्कीम: मंत्रालय देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को सेवाएं प्रदान करने में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहयोग देने के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम लागू कर रहा है। स्कीम के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श तक पहुंच का सहयोग करते हैं। मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीआई किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार देखभाल के मानकों का पालन करते हैं। सभी सीसीआई के अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को विभिन्न परामर्श भेजे गए हैं। 31.03.2022 तक, मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत 2245 सीसीआई में 76118 बच्चों को सहयोग प्रदान किया गया है।

मिशन वात्सल्य स्कीम के दिशानिर्देशों में कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं जैसे कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को नोडल प्राधिकारी के रूप में सशक्त बनाया गया है; प्रायोजन, पालक देखभाल, गोद लेने और देखभाल के लिए परिवार और समुदाय आधारित विकल्पों के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास और पुन:समेकन में गैर-संस्थागत देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है और इसमें राज्य स्तर पर निगरानी, समीक्षा और स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का प्रावधान किया गया है।

(ग): पिछले पांच वर्षों में बीबीबीपी स्कीम, सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 स्कीम और मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार है:

I. बीबीबीपी स्कीम:

क. भौतिक प्रगति

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जन्म पर लिंग अनुपात (एचएमआईएस, एमओएचएफडब्ल्यू के अनुसार)**
1.	2017-18	929
2.	2018-19	931
3.	2019-20	934
4.	2020-21	937
5.	2021-22	934

ख. वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**व्यय**
1.	2017-18	169.10

2.	2018-19	244.73
3.	2019-20	85.78
4.	2020-21	60.57
5.	2021-22	57.13

II. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीमः

क. भौतिक प्रगति

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या (30.06.2022 तक)

1.	6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे	7,70,97,588
2.	गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की संख्या	1,80,37,428
3.	लाभार्थियों की कुल संख्या (6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे और पीडब्ल्यूएंडएलएम)	9,51,35,016

ख. वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई निधि**
1.	2017-18	15,155.34
2.	2018-19	16,811.71
3.	2019-20	16,891.99
4.	2020-21	15,784.39
5.	2021-22	18,208.85

III. मिशन वात्सल्य स्कीमः

क. भौतिक प्रगति

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	2017-18	76,231
2.	2018-19	74,683
3.	2019-20	77,765
4.	2020-21	77,615
5.	2021-22	76,118

ख. वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**व्यय**
1.	2017-18	637.82
2.	2018-19	915.87
3.	2019-20	682.12
4.	2020-21	856.65
5.	2021-22	761.18

(घ) और (ङ): नमक सहित मुख्य खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन, आहार विविधीकरण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ ही संक्रमण नियंत्रण, जल और स्वच्छता आदि जैसे अन्य उपायों के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने की कार्यनीतियों में से एक है। इसलिए, एनीमिया सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के प्रसार को कम करने के लिए, विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों/ कार्यक्रमों के माध्यम से सभी कार्यनीतियों पर जोर दिया जाता है। इनमें आयरन और फोलिक एसिड संपूरण, कैल्शियम संपूरण, विटामिन-संपूरण, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उपयोग आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रबंधन में डबल फोर्टिफाइड नमक सहित प्रासंगिक फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों

(जहां भी आपूर्ति की गई) का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है।

इसके अलावा, पोषण 2.0 के तहत, आहार विविधता, खाद्य फोर्टिफिकेशन, ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियों का लाभ उठाने और बाजरे के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पोषण 2.0 के तहत पोषण जागरूकता कार्यनीतियों का उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में कमी सहित आहार अंतराल को पाटने के लिए स्थानीय, साबुत खाद्य पदार्थों पर ध्यान देने के साथ स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण विकसित करना है। इसके अलावा, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय खाद्य और ताजा उपज (हरी सब्जियों, फलों, औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों), स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और एनीमिया का प्रबंधन करने के लिए लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कम से कम एक सप्ताह में बाजरा का अनिवार्य समावेश किया गया है।

एनीमिया के मुद्दे का समाधान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों में भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल (आयरन, विटामिन बी-12 और फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड) की आपूर्ति का अनुमोदन कर दिया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में, राज्यों को 7.34 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया था। इस वर्ष अब तक, 9.32 लाख मीट्रिक टन आवंटित किया गया है।

*****